



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 15, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 06, 2021
Agrahayana 15, Monday, Saka 1943- December 06, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा
अधिसूचनाएं

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2021

एस.ओ.625 :-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा - 42 उप धारा (3) खण्ड (ख) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम- 06 उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री निर्मल सिंह मेडतवाल** को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में पूर्णकालिक सदस्य (न्यायिक), नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी:-

1. **श्री निर्मल सिंह मेडतवाल** सदस्य की यह नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
2. **श्री निर्मल सिंह मेडतवाल** को वेतन भत्ते, अवकाश, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के तहत देय होंगे।
3. राज्य आयोग सदस्य के रूप में नियुक्ति अवधि के दौरान कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेंगे। यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित हो; तो वे इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर जारी (Continue) नहीं रहेंगे।
4. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम- 6 (13) के तहत नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनमें अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।
5. राज्य आयोग के सदस्य की राजस्थान सरकार के कार्य दिवसों में आयोग में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
6. राज्य आयोग की सेवा के अन्य निबन्धन एवं शर्तें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी।

7. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किए गए सदस्य को जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्धारित मेडिकल बोर्ड से स्वयं का फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
8. राज्य आयोग के सदस्य को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 व उसके अन्तर्गत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
9. उक्त नियुक्ति आदेश के क्रम में नियुक्त किये गये सदस्य को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्य (न्यायिक) के रूप में अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर इस कार्यालय एवं रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर को तत्काल अवगत कराना होगा।

[एफ 89(22) खा.वि./उ.स./2021-III]

राज्यपाल की आज्ञा से,

नवीन जैन,

शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)।

Government Central Press, Jaipur.